# सामूहिक निर्णय पद्धति

गणतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था एक सबल ~~स्वस्थ~~ समाज की परिचायक है। इस व्यवस्था के विभिन्न अंग हैं, जिनमें से एक सामूहिक निर्णय पद्धति है।

सामूहिक निर्णय पद्धति का उद्देश्य एक सर्वमान्य हल खोजना होता है। यह ~~इस~~ सर्वमान्य हल, अंततः, व्यवस्था द्वारा निर्णीत अधिकारी अथवा नायक अनुपालन करवाता है।

इस प्रकार की पद्धति का एक महत्वपूर्ण उपयोग यह है, कि एक ही प्रश्न के विभिन्न पहलू प्रकाशित हो जाते हैं। इस विश्व में प्रत्येक मानव की ~~विचारधारा~~ वैचारिक शक्ति दूसरों से अलग प्रत्यक्ष होती है। इसी विभिन्नता के परिणामस्वरूप, एक सामूहिक विचार-मंथन अधिकांश प्रश्नों एवं विवादों के विभिन्न

पहलू प्रकाशित करता है। एक समूचे प्रश्न के साक्षात्कार हो जाने के उपरांत, सही उत्तर पाने की संभावना स्वभावत: बढ़ जाती है। इसके अलावा, एक और लाभ यह भी होता है कि सभी को अपना मत प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। प्रकृतिवश, अधिकांश सहभागी सर्वमान्य मत के अपने मत के परोक्ष रखने को विवश हो जाते हैं।

यह पद्धति सभी परिस्थितियों में लाभदायक नहीं पायी जाती। जहाँ पर प्रश्न मूल्यों एवं मान्यताओं के मतभेद पर ही आधारित हो, वहाँ पर इस पद्धति का उपयोग करना समुचित नहीं। मतों के अलावा, समाज के विभिन्न वर्गों के मूल्य एवं मान्यतायें भिन्न होना अति स्वाभाविक है। प्राय: इनका मूल वैयक्तिक संस्कार है, परंतु इस विषय को अभी यहीं छोड़ दीजिये। मूल्यों एवं मान्यतायें एक व्यक्ति की दीर्घकालीन धरोहर होती हैं। अत:, उनमें किसी तरह का परिवर्तन

एक साधारण व्यक्ति को स्वीकार्य नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में, किसी प्रश्न, विवाद या द्विविधा का निदान तो दूर, पारस्परिक झगड़ों एवं हिंसा होने की संभावना बन सकती है। इस तरह के विवादों से बचने का एक उपाय, नायक द्व का मत अंगीकार करना होता है। नायक वही है, जो दूरदर्शी होने के नाते, एक समूह के लाभ-दायक मूल्यों एवं मान्यताओं का प्रचार कर सके। अगर एक समूह को एक ऐसा नायक मिले, तो वह समूह कदम-कदम पर प्रगति की ओर बढ़ता चला जाता है।